

12/6/2024 कबीर जी डार जर्नल का मिसल पत्रिका  
 करने पर पत्रावली के पत्रों में लिखा गया। शुक्रवार  
 फरिबेन उपस्थित। उतिवरी सं. 1, 3, 4, 7, 13, 14,  
 19, 21, 23, 27 ने जर्मि वहील जी अथवा वर्मा  
 उपस्थित आए जसबदाय पत्र किया। वहील वहील ने  
 निवेदन किया कि जोप उतिवरीजण की जर्मि डीनिठ  
 सामान्य पत्र कवात्रे जाने के दोरेम डिमें जसे जिध  
 लकी हेर जोप उतिवरीजण की जर्मि डीनिठ सामान्य  
 पत्र लक किया जावे। पत्रावली दारिदा नर 03/7/2024  
 को पत्र हो।

८१

03/7/2024 शुक्रवार फरिबेन उपस्थित। उतिवरी सं. 6,  
 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28 अथवा  
 विधिवत डीनिठ सामान्य पत्र से वहील होने पर भी  
 उपस्थित नहीं वसलिये डीनिठ विनाड अथवा वहील  
 अमर में ली जाती है। एकर कवात्र नही चारों।  
 पत्रावली वसले वस दारिदा नर 04/7/2024 को  
 पत्र हो।

८१

04/7/2024 शुक्रवार फरिबेन उपस्थित। वस डुनी जर्मि।  
 पत्रावली का अवरलेवन किया गया पत्रावली पर  
 उपलब्ध रिपोर्ट व उति. डे जसबदाय डीनिठ डीनिठ  
 पर वहील किया गया है। उति निवेदन एतिव  
 निवेदन द्वारा से लिखना जसबदाय = मिह लोडित किया  
 जावे। पत्रावली नम्बर से डम ही जसबदाय दारिदा  
 पत्र हो।

८१

डिफ़्टी बमुकदमं इब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 224/2022 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

अनिरुद्ध कुमार जोशी पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र बागाराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील रावतसर
2. उम्मेदसिंह पुत्र भगवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी पल्लू तहसील रावतसर
3. ओमप्रकाश पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील रावतसर
4. कुलदीपसिंह पुत्र लूणसिंह जाति राजपुत निवासी पल्लू तहसील रावतसर
5. कालूसिंह पुत्र भगवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी पल्लू तहसील रावतसर
6. किरताराम पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी नैयासर तहसील रावतसर
7. गजेन्द्रसिंह पुत्र भगवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी पल्लू तहसील रावतसर
8. गुलाबसिंह पुत्र भगवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी पल्लू तहसील रावतसर
9. तेजसिंह पुत्र भगवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी पल्लू तहसील रावतसर
10. देवीलाल पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी नैयासर तहसील रावतसर
11. पृथ्वीराज पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी भाटवाला तहसील रावतसर
12. प्रकाश पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी भाखरावाली ढाणी तहसील सरदारशहर जिला चुरू, राज0।
13. प्रेमकंवर पत्नि स्व. लूणसिंह जाति राजपुत निवासी पल्लू तहसील रावतसर
14. पुष्पाकंवर पुत्री लूणसिंह जाति राजपुत निवासी पल्लू तहसील रावतसर
15. बहादूररामभारी पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी लुणासर तहसील रावतसर
16. बादामी पत्नि लाधुराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
17. भगवानसिंह पुत्र टिकूराम जाति जाट निवासी जेठवाकाबास तहसील फतेहपुर जिला सीकर, राज0।
18. भंवरी पत्नि भगवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी पल्लू तहसील रावतसर
19. मुकेश सिंह पुत्र लूणसिंह जाति राजपुत निवासी पल्लू तहसील रावतसर
20. मनीराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी पुरबसर तहसील रावतसर
21. रोशनी देवी पत्नि सुरेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी प्रेमपुरा तहसील रावतसर
22. लिच्छमणराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी पल्लू तहसील रावतसर
23. विक्रमसिंह पुत्र लूणसिंह जाति राजपुत निवासी पल्लू तहसील रावतसर
24. वीरेन्द्रसिंह पुत्र भरतपालसिंह जाति राजपुत निवासी सांवलसर
25. श्योपतसिंह पुत्र बागसिंह जाति राजपुत निवासी बरवाली तह0 नोहर
26. सुनिता पत्नि महेश कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
27. हरिराम पुत्र रामदास जाति स्वामी निवासी पूनमसर
28. हंसराज पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी दनियासर तहसील रावतसर
29. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री अनिल सिहाग वकील-वादी

श्री श्रवणकुमार वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5, 7 ता 9, 13,

14, 19, 21, 23, 27

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 29

निर्णय दिनांक- 04-07-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर

के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि वादी अनुरुद्ध

04/07/24

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

कुमार जोशी को रोही मौजा पल्लू के खसरा नम्बर 964/27 की 1.199 है. में से 0.3163 हैक्टेयर ~~पैग~~ पाससा जिसके दक्षिण दिशा में मेगा हाईवे सड़क स्थित हैं, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष रोही मौजा रोही मौजा पल्लू के खेत खसरा नम्बर 24 की 10.5330 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 963/27 की 2.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 964/27 की 0.8827 हैक्टेयर कुल 13.7957 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 के संयुक्त रूप से मुताबिक हक हिस्सा रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04.07.2024  
..... को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलेक्टर एवं  
सुपरवुण्ड अधिकारी  
राजसूर